जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 05-11-2020**

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

फर्जी दस्तावेज तैयार करके खाते से 21 लाख रुपये गबन करन के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 630/19 धारा 419/420/467/468/471/406 भा0द0वि0 के मामलें में वाँछित अभियुक्त नाम पता नीरज गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता निवासी सोनाड़ी हैंसर बाजार थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा नवंबर 2017 से लेकर सितम्बर 2018 तक के बीच वादी के बैंक खाते का फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करके वादी के खाते से 21 लाख 11 हजार 836 रु0 निकाले लिये गये थे तथा वादी द्वारा मागने पर 2 लाख रुपये वापस किये गये शेष रुपयों का गबन कर लिय़ा गया जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें आज दिनांक 06.11.2020 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीयय न्यायालय रवाना किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 1483 द्वारा दो पक्षों में हो रहे विवाद को कराया गया शान्त</u> – पीआरवी <u>1483</u> को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत बरदहिया से इवेन्ट संख्या 13282 से कालर ने दुर्घटना से सम्बन्धित विवाद होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 05 मिनट में घटना स्थल पर पहुंकर विवाद को शान्त कराकर प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना कोतवाली खलीलाबाद के सुपुर्द किया गया तथा घायल को अस्पताल भेजवाया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुचकर विवाद को शान्त कराकर घायल को अस्पताल भेजवाकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।।

पीआरवी स्टाफ –मु0आरक्षी जितेन्द्र यादव, आरक्षी ब्रह्मा, आ0चा0 राजन प्रसाद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 270 वाहनो से 241500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06-11-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 270 वाहनो से 241500रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद-संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 06-11-2020**

यातायात जागरुकता माह के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद द्वारा राजकीय कन्या इण्टर कालेज में महिला सशक्तिकरण व यातायात नियमों के बारे में किया गया जागरुक

यातायात जागरुकता माह के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक संकतबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह निर्देशन चलाए जा रहे यातायात जागरुकता कार्यक्रम के दृष्टिगत आज दिनांक 06.11.2020 को क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री गयादत्त मिश्रा द्वारा शहर खलीलाबाद के क्षेत्र के राजकीय कन्या इण्टर कालेज की छात्राओं को कोविड-19 के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य दिशा निर्देशों का पालन करते हुए महिला सशक्तिकरण व यातायात जागरुकता माह के अन्तर्गत यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया गया साथ ही अपील की गयी कि वह अपने परिजनों को भी जागरुक करते हुए दुपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेल्मेट का प्रयोग करने, कार ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट बाधने व तेज रफ्तार से वाहन न चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने के सम्बन्ध में **जागरुकता चेन** का निर्माण करेंगी। इस मौके पर प्रभारी यातायात संतोष कुमार मिश्र, यातायात पुलिस के एचसीपी श्री जगदम्बा गुप्ता, एच0सी0पी0 अनिल शर्मा, एच0सी0पी0 भोला प्रसाद एच0सी0पी0 नन्द लाल, का0 कृष्णानन्द पाण्डेय व यातायात पुलिस के अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इसी क्रम में धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इण्टर कालेज मेंहदूपार के छात्र / छात्राओं को थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा श्री धर्मेन्द्र तिवारी द्वारा जागरुक किया गया व जनपद के अन्य थाना क्षेत्रों में भी जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।